



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256516
CG-DL-E-21082024-256516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3209]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3209]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3525(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 54.400 (प्रान्त औफस, भुज लखपत रोड, नखात्राना) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डैप्यटी क्लैकटर् & एंस्डीएम् को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 54.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: कच्छ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लखपत					
गांव का नाम: छुगेर					
1	10	निजी (निजी)	कृषि	0.1179 (हेक्टेयर)	0.1179
2	11	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.2069 (हेक्टेयर)	0.2069
3	18	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
4	29	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.1166 (हेक्टेयर)	0.1166
5	9	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.378 (हेक्टेयर)	0.378
गांव का नाम: घडुली					
6	13/1	निजी (निजी)	कृषि	0.1232 (हेक्टेयर)	0.1232
7	13/2	निजी (निजी)	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
8	14/1/1	निजी (निजी)	कृषि	0.0281 (हेक्टेयर)	0.0281
9	14/1/2	निजी (निजी)	कृषि	0.0438 (हेक्टेयर)	0.0438
10	14/2	निजी (निजी)	कृषि	0.0588 (हेक्टेयर)	0.0588
11	15/2	निजी (निजी)	कृषि	0.0314 (हेक्टेयर)	0.0314
12	15/3	निजी (निजी)	कृषि	0.181 (हेक्टेयर)	0.181
13	16/1	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.0303 (हेक्टेयर)	0.0303
14	16/2	निजी (निजी)	कृषि	0.2869 (हेक्टेयर)	0.2869
15	224	निजी (निजी)	कृषि	0.9903 (हेक्टेयर)	0.9903
16	225	निजी (निजी)	कृषि	0.588 (हेक्टेयर)	0.588
17	231	निजी (निजी)	कृषि	0.1389 (हेक्टेयर)	0.1389

18	243/1	निजी (निजी)	कृषि	0.1406 (हेक्टेयर)	0.1406
19	243/2	निजी (निजी)	कृषि	0.0781 (हेक्टेयर)	0.0781
20	243/3	निजी (निजी)	कृषि	0.0788 (हेक्टेयर)	0.0788
21	243/4	निजी (निजी)	कृषि	0.1235 (हेक्टेयर)	0.1235
22	243/5	निजी (निजी)	कृषि	0.1347 (हेक्टेयर)	0.1347
23	246	निजी (निजी)	कृषि	0.0802 (हेक्टेयर)	0.0802
24	247/1	निजी (निजी)	कृषि	0.3158 (हेक्टेयर)	0.3158
25	247/2	निजी (निजी)	कृषि	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
26	250	निजी (निजी)	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
27	251	निजी (निजी)	कृषि	0.4858 (हेक्टेयर)	0.4858
28	252	निजी (निजी)	कृषि	0.3267 (हेक्टेयर)	0.3267
29	263/1	निजी (निजी)	कृषि	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
30	263/5	निजी (निजी)	कृषि	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
31	263/6	निजी (निजी)	कृषि	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
32	264/1	निजी (निजी)	कृषि	0.1975 (हेक्टेयर)	0.1975
33	264/2	निजी (निजी)	कृषि	0.071 (हेक्टेयर)	0.071
34	267	निजी (निजी)	कृषि	0.0958 (हेक्टेयर)	0.0958
35	268	निजी (निजी)	कृषि	0.1327 (हेक्टेयर)	0.1327
36	271	निजी (निजी)	कृषि	0.115 (हेक्टेयर)	0.115
37	274	निजी (निजी)	कृषि	0.1955 (हेक्टेयर)	0.1955
गांव का नाम: लाखापर					
38	10	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.4752 (हेक्टेयर)	0.4752
39	100	निजी (निजी)	कृषि	0.8241 (हेक्टेयर)	0.8241
40	101	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.1524 (हेक्टेयर)	0.1524
41	102	निजी (निजी)	कृषि	0.3316 (हेक्टेयर)	0.3316
42	103	निजी (निजी)	कृषि	0.376 (हेक्टेयर)	0.376
43	111	निजी (निजी)	कृषि	0.2967 (हेक्टेयर)	0.2967
44	112	निजी (निजी)	कृषि	0.1622 (हेक्टेयर)	0.1622
45	113	निजी (निजी)	कृषि	0.0781 (हेक्टेयर)	0.0781
46	130	निजी (निजी)	कृषि	0.0227 (हेक्टेयर)	0.0227
47	131	निजी (निजी)	कृषि	0.0332 (हेक्टेयर)	0.0332
48	134	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.1304 (हेक्टेयर)	0.1304

49	144	निजी (निजी)	कृषि	0.2371 (हेक्टेयर)	0.2371
50	145	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
51	146	निजी (निजी)	कृषि	0.0742 (हेक्टेयर)	0.0742
52	149	निजी (निजी)	कृषि	0.1302 (हेक्टेयर)	0.1302
53	150	निजी (निजी)	कृषि	0.4332 (हेक्टेयर)	0.4332
54	152	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.123 (हेक्टेयर)	0.123
55	154	निजी (निजी)	कृषि	0.2117 (हेक्टेयर)	0.2117
56	156	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.416 (हेक्टेयर)	0.416
57	157	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
58	161	निजी (निजी)	कृषि	0.0223 (हेक्टेयर)	0.0223
59	162	निजी (निजी)	कृषि	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
60	167	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.0305 (हेक्टेयर)	0.0305
61	168	निजी (निजी)	कृषि	0.0891 (हेक्टेयर)	0.0891
62	169	निजी (निजी)	कृषि	0.2119 (हेक्टेयर)	0.2119
63	188	निजी (निजी)	कृषि	0.0313 (हेक्टेयर)	0.0313
64	293	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.0481 (हेक्टेयर)	0.0481
65	294	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.5774 (हेक्टेयर)	0.5774
66	6	निजी (निजी)	कृषि	0.323 (हेक्टेयर)	0.323
67	7	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	2.0803 (हेक्टेयर)	2.0803
68	96	निजी (निजी)	कृषि	0.251 (हेक्टेयर)	0.251
69	97	सरकारी (सरकारी)	सरकारी	0.3394 (हेक्टेयर)	0.3394
70	99	निजी (निजी)	कृषि	0.9948 (हेक्टेयर)	0.9948
कुल योग					16.0219

[फा. सं. GJ/P/V/08/03/2022/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3525(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of

NH 754K in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 54.400 (Prant Office , Bhuj Lakhpat Road, Nakhatrana) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector & SDM in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 54.400 in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: KACHCHH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lakhpat					
Village: Chhuger					
1	10	Private	Agricultural	0.1179 (Hectare)	0.1179
2	11	Government	Government	0.2069 (Hectare)	0.2069
3	18	Government	Government	0.047 (Hectare)	0.047
4	29	Government	Government	0.1166 (Hectare)	0.1166
5	9	Government	Government	0.378 (Hectare)	0.378
Village: Gaduli					
6	13/1	Private	Agricultural	0.1232 (Hectare)	0.1232
7	13/2	Private	Agricultural	0.03 (Hectare)	0.03
8	14/1/1	Private	Agricultural	0.0281 (Hectare)	0.0281
9	14/1/2	Private	Agricultural	0.0438 (Hectare)	0.0438
10	14/2	Private	Agricultural	0.0588 (Hectare)	0.0588
11	15/2	Private	Agricultural	0.0314 (Hectare)	0.0314
12	15/3	Private	Agricultural	0.181 (Hectare)	0.181
13	16/1	Government	Government	0.0303 (Hectare)	0.0303
14	16/2	Private	Agricultural	0.2869 (Hectare)	0.2869
15	224	Private	Agricultural	0.9903 (Hectare)	0.9903
16	225	Private	Agricultural	0.588 (Hectare)	0.588
17	231	Private	Agricultural	0.1389 (Hectare)	0.1389
18	243/1	Private	Agricultural	0.1406 (Hectare)	0.1406
19	243/2	Private	Agricultural	0.0781 (Hectare)	0.0781
20	243/3	Private	Agricultural	0.0788 (Hectare)	0.0788

21	243/4	Private	Agricultural	0.1235 (Hectare)	0.1235
22	243/5	Private	Agricultural	0.1347 (Hectare)	0.1347
23	246	Private	Agricultural	0.0802 (Hectare)	0.0802
24	247/1	Private	Agricultural	0.3158 (Hectare)	0.3158
25	247/2	Private	Agricultural	0.0462 (Hectare)	0.0462
26	250	Private	Agricultural	0.18 (Hectare)	0.18
27	251	Private	Agricultural	0.4858 (Hectare)	0.4858
28	252	Private	Agricultural	0.3267 (Hectare)	0.3267
29	263/1	Private	Agricultural	0.021 (Hectare)	0.021
30	263/5	Private	Agricultural	0.0308 (Hectare)	0.0308
31	263/6	Private	Agricultural	0.025 (Hectare)	0.025
32	264/1	Private	Agricultural	0.1975 (Hectare)	0.1975
33	264/2	Private	Agricultural	0.071 (Hectare)	0.071
34	267	Private	Agricultural	0.0958 (Hectare)	0.0958
35	268	Private	Agricultural	0.1327 (Hectare)	0.1327
36	271	Private	Agricultural	0.115 (Hectare)	0.115
37	274	Private	Agricultural	0.1955 (Hectare)	0.1955
Village: Lakhapar					
38	10	Government	Government	0.4752 (Hectare)	0.4752
39	100	Private	Agricultural	0.8241 (Hectare)	0.8241
40	101	Government	Government	0.1524 (Hectare)	0.1524
41	102	Private	Agricultural	0.3316 (Hectare)	0.3316
42	103	Private	Agricultural	0.376 (Hectare)	0.376
43	111	Private	Agricultural	0.2967 (Hectare)	0.2967
44	112	Private	Agricultural	0.1622 (Hectare)	0.1622
45	113	Private	Agricultural	0.0781 (Hectare)	0.0781
46	130	Private	Agricultural	0.0227 (Hectare)	0.0227
47	131	Private	Agricultural	0.0332 (Hectare)	0.0332
48	134	Government	Government	0.1304 (Hectare)	0.1304
49	144	Private	Agricultural	0.2371 (Hectare)	0.2371
50	145	Government	Government	0.16 (Hectare)	0.16
51	146	Private	Agricultural	0.0742 (Hectare)	0.0742
52	149	Private	Agricultural	0.1302 (Hectare)	0.1302
53	150	Private	Agricultural	0.4332 (Hectare)	0.4332
54	152	Government	Government	0.123 (Hectare)	0.123
55	154	Private	Agricultural	0.2117 (Hectare)	0.2117
56	156	Government	Government	0.416 (Hectare)	0.416
57	157	Government	Government	0.038 (Hectare)	0.038
58	161	Private	Agricultural	0.0223 (Hectare)	0.0223
59	162	Private	Agricultural	0.045 (Hectare)	0.045
60	167	Government	Government	0.0305 (Hectare)	0.0305
61	168	Private	Agricultural	0.0891 (Hectare)	0.0891
62	169	Private	Agricultural	0.2119 (Hectare)	0.2119
63	188	Private	Agricultural	0.0313 (Hectare)	0.0313

64	293	Government	Government	0.0481 (Hectare)	0.0481
65	294	Government	Government	0.5774 (Hectare)	0.5774
66	6	Private	Agricultural	0.323 (Hectare)	0.323
67	7	Government	Government	2.0803 (Hectare)	2.0803
68	96	Private	Agricultural	0.251 (Hectare)	0.251
69	97	Government	Government	0.3394 (Hectare)	0.3394
70	99	Private	Agricultural	0.9948 (Hectare)	0.9948
Total					16.0219

[F. No. GJ/P/V/08/03/2022/3A]

ABHAY JAIN, Director